



Neutral Citation No-2026:AHC:8778

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 63 वर्ष 2026

विश्वनाथ याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संजय सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"1. प्रतिपक्षी संख्या-2 यानी चकबंदी अधिकारी बांसडीह, बलिया को आदेश देने वाली परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करता हूं ताकि मूल मामले संख्या-3537 और 3538 रामायण बनाम यू.पी.सी.एच. अधिनियम के तहत धारा 9 यू.पी.सी.एच. अधिनियम में चकबंदी अधिकारी, सिसोटा, परगना, सिकंदरपुर पूर्व, जिला: बलिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.1989 के खिलाफ दायर आदेश की सुनवाई सुनिश्चित की जा सके, और इसे निर्धारित समय के भीतर विनित करें जो यह माननीय न्यायालय निर्धारित करे।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 08.09.1989 के आदेश के खिलाफ 27.08.2012 को दायर किया गया बहाली आवेदन इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।



4. उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए जाने की स्थिति में स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी (प्रतिपक्षी संख्या-2) को निर्देश देकर, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटान करना उचित समझता है, जिसके समक्ष उपर्युक्त मामला निपटान के लिए लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः निर्णय लेना।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 13, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)